दिनांक 18.01.2023 को उपायुक्त, गुमला की अध्यक्षता में आयोजित वितीय वर्ष 2022–23 की आत्मा शासकीय निकाय की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति– पंजी में संधारित।

आत्मा शासकीय निकाय की बैठक में आत्मा कार्यक्रम/ SMAE (Sub Mission on Agriculture Extension) की वितीय वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना पर चर्चा की गई ।

शासकीय निकाय को सूचित किया गया कि इस वर्ष रिक्त प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक के पदों पर बहाली होने के कारण विभाग द्वारा प्रावधानित बजट में कार्य करने में कठीनाई आ रही है एवं विभाग से अतिरिक्त आबंटन हेतू मांग भी किया जा चुका है। आबंटन में कमी के कारण आत्मा गतिविधियों का शतप्रतिशत संचालन नहीं हो पा रहा है। प्रावधानित कार्यों पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

- राज्यस्तरीय प्रशिक्षण– जिले में 01(एक) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.125000/-) कुल 125000/– (एक लाख पच्चीस हजार रूपये) का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत कृषकों को झारखण्ड़ राज्य के दूसरे जिलों के विभिन्न सरकारी संस्था यथा– के0भी0के0 रांची, हार्प पलाण्डु एवं बी0ए0यू0 कांके में कृषि तकनीक की जानकारी हेतू प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है।

- जिला स्तरीय प्रशिक्षण– जिले में 12 (बारह) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.36000/-) कुल 4.32000 लाख (चार लाख बत्तीस हजार रूपये) का प्रावधान है।कृषि विज्ञान केन्द्र गुमला के साथ समन्वय कर 12 प्रखण्डों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित किया जाना है।

- प्रत्यक्षण– जिले में कृषि प्रत्यक्षण का कुल 24 (चौबिस) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.4000/-) कुल 96000 (छियानवे हजार रूपये) का प्रावधान है। साथ ही अनुषंगी क्षेत्र में कुल 60 (साठ) लक्ष्य है जिसके लिए कुल 2.4000 (दो लाख चालिस हजार रूपये) का प्रावधान है। इसके तहत कृषि प्रत्यक्षण/ अनुषंगी क्षेत्र हेतू जो किसान अच्छा काम करते है उसका चयन करके, जिस क्षेत्र में वह अच्छा काम करते हो उसमें सहयोग प्रदान करते हुए आदर्श Demonstratration को विकसित किये जाने का प्रयास किया जाय। लेमन ग्रास, स्ट्रॉबेरी एवं ड्रेगनफ्रुट की खेती करने वाले किसानों के यहां आदर्श Demonstratration को विकसित करने में प्राथमिकता दें।

- राज्यस्तरीय परिभ्रमण– जिले में 01 (एक) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.37500 /-) कुल 37500 (सैंतिस हजार पांच सौ रूपये) का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत प्रखण्ड–सिसई की प्रगतिशील किसान मंजू उरांव (Tractor Girl) पंचायत –शिवनाथपुर को उप विकास आयुक्त गुमला के निदेश पर उनके गांव के प्रगमिशील महिला किसानों के साथ राम कृष्ण मिशन, रांची में कृषि तकनीक की जानकारी हेतू परिभ्रमण कराया गया।

- जिला स्तरीय परिभ्रमण–जिले में 24 (चौबिस) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.9000/-) कुल 2.16000 (दो लाख सोलह हजार रूपये) का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत गुमला जिले के कृषकों को जिले के प्रगतिशील किसान के प्रक्षेत्र पर विषय– डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, मत्सयपालन, लेमन ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ड्रेगनफ्रुट की खेती के विकसित फार्म पर परिभ्रमण कराये जाने का निदेश दिया गया।

- कृषकों का क्षमता विकास(FIG/ Seed Money/Food Security Group)-

  कृषक समूह/ स्वयं सहायता समूह (FIG)–जिले में 24 (चौबिस) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.5000/-) कुल 1.20000/–(एक लाख बीस हजार रूपये) का प्रावधान है।

  Seed Money - जिले में 06 (छः) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.10000/-) कुल 60000/– (साठ हजार रूपये) का प्रावधान है।

  Food Security Group-जिले में 06 (छः) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.10000 /-) कुल 60000/– (साठ हजार रूपये) का प्रावधान है।

  उक्त तीनो ही कार्यक्रम के लिए जिले में गठित 20 FPO समूह के साथ क्षमता विकास किया जाना है। साथ ही FPO समूह को फोकस करते हुए आत्मा गतिविधियों में उनकी पूर्ण सहभागिता कराई जानी है ।

- किसान मेला–जिले में 01(एक) किसान मेला कराने का लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.400000 /-) कुल 400000/– (चार लाख रूपये) का प्रावधान है। आत्मा कार्यक्रम में आबंटन की उपलब्धता पर कराया जा सकेगा।

- तकनीकी पुस्तिका निर्माण एवं प्रचार–प्रसार – जिले में 05 (पांच) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.20000/.) कुल 100000/– (एक लाख रूपये) का प्रावधान है। आत्मा कार्यक्रम में आबंटन का अभाव होने के कारण संभव नहीं है। अतः कृषि विभाग के द्वारा लिफलेट/पम्पलेट का छपाई करायी जायगी। निदेश दिया गया कि प्रगतिशील किसानो के आर्थिक परिवर्तन पर **Succes Story print** करा कर जिले के अन्य कृषकों को प्रेरित करने हेतु उपयोग किया जाय।

- तकनीकी विषय पर विडियो फिल्म का निर्माण – जिले में 01 (एक) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.20000/-) कुल 20000 (बीस हजार रूपये) का प्रावधान है। इसके तहत किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले किसान का विडियो फिल्म का निर्माण कराया जाएगा। सभी अनुषंगी विभाग से सुझाव लेने का निर्णय लिया गया।

- कृषक वैज्ञानिक अन्तर्मिलन कार्यक्रम– जिले में 02 (दो) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs. 20000/-) कुल 40000 (चालिस हजार रूपये) का प्रावधान है। इसके तहत प्रखण्ड बसिया के धनसिंह डैम पर कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों एवं किसानों का अन्तर्मिलन कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया।

- किसान गोष्ठी– जिले में 24 (चौबिस) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.0.15000 lakh) कुल 3.60000 (तीन लाख साठ हजार रूपये) का प्रावधान है। सभी प्रखण्डों में खरीफ एवं रबी किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा चुका है। किसान गोष्ठी का आयोजन के साथ विभागीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

- कृषक पाठशाला – जिले में 24 (चौबिस) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.29414/-) कुल 7.05936 (सात लाख पांच हजार नौ सौ छत्तिस रूपये) का प्रावधान है। इसमें यथा नाशपाति बगान, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, मत्सयपालन, लेमन ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ड्रेगनफ्रुट की खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मिश्रित खेती विषय पर कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

- उप परियोजना निदेशक, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं लेखापाल–सह–लिपिक के मूल परिलब्धि में 10 बढ़ोत्तरी– आत्मा मार्गदर्शिका के आलोंक में उप परियोजना निदेशक, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं लेखापाल–सह–लिपिक के मूल परिलब्धि में अधिकतम 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर्मियों के Work Appraisal के आधार पर किए जाने पर सहमति हुई ।

- **Soil Health card Scheme** – गुमला जिले के सभी किसानों की Soil Health card निर्माण हेतू इच्छा की अभिव्यक्ति के माध्यम से संस्था का चयन करने का निर्णय लिया गया।

  बैठक में यह निर्देश दिया गया कि आत्मा के सभी कार्यक्रम theme based हो साथ ही टाना भगत एवं आदिम जनजाति आधारित कार्यक्रम भीं शामिल करने का प्रयास किया जाय।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा,धान 2022–23

- योजना अंतर्गत धान की कतार बुआई 85 हेक्टेयर, श्री विधि से 70 हेक्टेयर में प्रत्यक्षण, तथा संकर धान के सामुहिक प्रत्यक्षण हेतु कुल 115 हेक्टेयर एवं **Stress tolerance** अन्तर्गत 175 हेक्टेयर में **Croping Sequence Based Demonstration** के अन्तर्गत 72 हे0 सहित कुल 517 हे0 संकुल प्रत्यक्षण का गुमला जिले का लक्ष्य है।

- इस योजना अंतर्गत 100 क्वींटल संकर धान का बीज एवं 325 क्वींटल प्रमाणित प्रभेद जो 10 वर्ष से अधिक का हो एवं 610 क्वींटल प्रमाणित प्रभेद 10 वर्ष से कम का हो किसानों के बीच वितरण का लक्ष्य है।

- इस योजना अंतर्गत सुक्ष्म पोषक तत्व 1190 हे0 में, अम्लीय मिट्टी के उपचार हेतु डोलोमाईट का छिड़काव 410 हे0 में जैविक खाद 850 हे0 में,एवं पौधा संरक्षण प्रबंधन हेतु रसायन एवं जैवीय कारक 510 हे0 , जैवीय कीटनाशक 510 हे0 , खर–पतवार नाशी 305 हे0 में अनुदान पर वितरण का लक्ष्य है।

- इस योजना अंतर्गत यांत्रिकरण हेतु अनुदान पर 15 सीड वीन, 15 कोनोवीडर, 10 ड्रम सीडर, 07 पावर वीडर, 15 नैपसैक स्प्रेयर, 15 पावर नैपसैक स्प्रेयर, 4 सीड ड्रील, 2 जिरो टील सीड ड्रील, 3 पावर टीलर, 8 रोटोवेटर, 3 पैडी थ्रेसर, 3 मल्टीकॉप थ्रेसर, 1 सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रान्सप्लांटर, 55 पम्पसेट एवं 2725 मीटर सिचाई पाईप किसानों के बीच अनुदान पर वितरण का लक्ष्य है।

- इस योजना अंतर्गत फसल पद्वति आधारित कुल 10 कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला का लक्ष्य है।

- इस योजना अंतर्गत **Local Initiative** मद के अन्तर्गत 57500/रू0 अधिकतम अनुदान पर **09 Thressing floor Size - 30'X30'** , 40000/रू0 अधिकतम अनुदान में **05 Mini Rice Mill** अनुदान पर निर्माण एवं वितरण का लक्ष्य है।

कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी वार्षिक कार्य योजना की सर्वसम्मति से बैठक में अनुमोदन किया गया, एवं 517 हे0 में खरीफ में किये जाने वाले धान संकुल प्रत्यक्षण जो कि स्वीकृत्यादेश के अभाव में नहीं किया जासका है, को गरमा धान में संकुल चयन कर किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतू निर्णय लिया गया। मार्गदर्शिका के

कंडिका 8.2 के आलोक में धान योजना का कुल बजट 124.9025 लाख राशि का 20 प्रतिशत तक नियमानुसार अर्न्तमद परिवर्तन कर किसानों को यांत्रिकरण मद में समायोजित करते हुए अधिक से अधिक किसानों को अनुदान से लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया, तदनुसार प्रस्ताव राज्य नोडल पदाधिकारी को अनुशंसित करने का निर्णय हुआ।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, दलहन 2022–23

- योजना अंतर्गत संकुल प्रत्यक्षण अरहर 58 हेक्टेयर, चना 34 हेक्टेयर, उरद 40 हेक्टेयर, मुँग 7 हेक्टेयर, मसुर 7 हेक्टेयर, में एवं **Croping Sequence Based Demonstration** के अन्तर्गत 54 हे0 में तथा **Intercropping** 55 हे0 सहित कुल 255 हे0 का लक्ष्य है ।

- इस योजना अंतर्गत 174 क्वींटल प्रमाणित दलहन बीज प्रभेद 10 वर्ष से कम का हो तथा 172 क्वींटल प्रमाणित दलहन बीज प्रभेद जो 10–20 वर्ष के बीच का हो किसानों के बीच वितरण का लक्ष्य है।

- दलहन बीज उत्पादन कार्यकम के अन्तर्गत अरहर,उरद,मुँग,चना एवं मसुर का कुल 28 क्वींटल प्रमाणित दलहन बीज जो प्रभेद 10 वर्ष से कम का हो उत्पादन का लक्ष्य है।

- इस योजना अंतर्गत सुक्ष्म पोषक तत्व 480 हे0 में, अम्लीय मिट्टी के उपचार हेतु जिप्सम या 80 प्रतिशत गंधक का छिड़काव 384 हे0 में, लाईम 384 हे0 में, जैविक खाद 288 हे0 में पौधा संरक्षण हेतु रसायन 240 हे0 में तथा खर–पतवार नाशी हेतु 240 हे0 अनुदान पर वितरण हेतु लक्ष्य है।

- इस योजना अंतर्गत कृषि यांत्रिकरण हेतु अनुदान पर 60 पावर नैपसेक स्प्रेयर, 117 मैनुअल स्प्रेयर, 3 रोटावेटर, 2 मल्टी क्रॉप थ्रेसर, 2 चीसेल हल, 1 रीडज फरो प्लॉटर, 14 सीड स्टोरेज बीन, 1 इकाई स्प्रीकलर सेट, 59 पम्पसेट, 373 मीटर सिचाई पाईप, 1 इकाई मोबाइल रेन गन, किसानों के बीच वितरित का लक्ष्य है।

- इस योजना अंतर्गत फसल पद्वति आधारित 4 कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला का लक्ष्य है।

- इस योजना अंतर्गत 57500/रू0 अधिकतम अनुदान पर 5 ईकाई थ्रेसिग फ्लोर **Size - 30'X30'** का निर्माण किया जाना है, तथा 95000 रू0 अनुदान पर एक मिनी दाल मिल वितरण का लक्ष्य है।

कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी वार्षिक कार्य योजना की सर्वसम्मति से बैठक में अनुमोदन किया गया एवं 255 हे0 में खरीफ एवं रब्बी में किये जाने वाले दलहन संकुल प्रत्यक्षण को गरमा मुँग से आच्छादित करने हेतु संकुल का चयन कर किसानों को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। मार्गदर्शिका के कंडिका 8.2 के आलोक में दलहन योजना का कुल बजट 84.60714 लाख राशि का 20 प्रतिशत तक अर्न्तमद परिवर्तन कर किसानों को यांत्रिकरण मद में समायोजित करते हुए अधिक से अधिक किसानों को अनुदान से लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया। स्वीकृत्यादेश के अभाव में रबी में कार्यकम नहीं लिया जा सका है अतः यथा संभव गरमा में कार्यकम कराने हेतू राज्य नोडल पदाधिकारी को अनुशंसा भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, सरसों मिनिकिट कार्यकम 2022–23

- सरसो का उन्नत प्रभेद आर0एच–725 का 91.80 क्वींटल का वितरण।

कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी 3730 किसानों के बीच वितरण की गयी 91.80 क्वींटल सरसो बीज प्रभेद आर0एच0–725 का सर्वसम्मति से बैठक में अनुमोदन किया गया।

राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा मिशन, International Millet Year 2023

- इस कार्यक्रम अन्तर्गत मोटे अनाज (मडुआ) की खेती एवं उसके उत्पादों के गुणों का प्रचार–प्रसार हेतू कार्यशाला का आयोजन, प्रिन्ट मिडिया, प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण, परिभ्रमण, महिला कृषक, एफ0पी0ओ0, प्रदान एवं जे0एस0एल0पी0एस के समूहों को प्राथमिकता देते हुए नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- मडुआ एवं ज्वार मिनीकिट बीज एफ0पी0ओ0, प्रदान एवं जे0एस0एल0पी0एस के माध्यम से किसानों के बीच वितरण एवं प्रत्यक्षण करने का निर्णय लिया गया।
- प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, आंगनबाडी केन्द्रों पर मोटे अनाज (मडुआ) की खेती एवं उसके पोषक महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया।
- आकर्षक रोड शो, दिवाल लेखन एवं पम्पलेट के माध्यम से प्रचार–प्रसार करने का निर्णय लिया गया।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, गरमा मूंगफली मिनिकिट कार्यक्रम 2022–23

- जिले में गरमा मूंगफली की 100 हे0 में खेती करने हेतू प्रस्ताव भेजा गया है।निदेश दिया गया कि गरमा मूंगफली मिनिकिट बीज प्राप्त होने पर, बीज वितरण प्रदान संस्था के अधिकारियों की उपस्थिति में कराया जायगा। साथ ही प्रदान संस्था के साथ MOU किया जायगा। MOU में दर निर्धारित किया जायगा जिसपर उत्पादित मूंगफली का कय संस्था द्वारा किया जायगा। इस प्रकार किसानों को market linkage कर आत्म निर्भर बनाने में सहायता प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

19/1/23
जिला कृषि पदाधिकारी–सह–
परियोजना निदेशक,आत्मा गुमला

20.01.23
उपायुक्त
गुमला

ज्ञापांक 26/ATMA दिनांक 20.01.23
प्रतिलिपि– सभी संबंधित पदाधिकारीयों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ समर्पित।

21/01/23
जिला कृषि पदाधिकारी–सह–
परियोजना निदेशक, आत्मा गुमला